

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) ग्राम पंचायत जीवली

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. आजाद पुत्र चिरंजी साई मुसलमान निवासी जीवली
2. नविया पुत्र चिरंजी साई मुसलमान निवासी जीवली
3. शहजाद पुत्र चिरंजी साई मुसलमान निवासी जीवली

—प्रार्थीगण

बनाम

1. नरेन्द्र पुत्र रामनारायण (कुमारया) जाति मीना निवासी जीवली
2. हरिमोहन पुत्र रामनारायण (कुमारया) जाति मीना निवासी जीवली
3. भावना पत्नि नरेन्द्र कुमार जाति मीना निवासी जीवली
4. मनीषा पत्नि हरिमोहन जाति मीना निवासी जीवली

—अप्रार्थीगण

मुकदमा नं. — 81/2017

निर्णय की दिनांक —08.05.2018

वादीगण की ओर से स्वयं वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं प्रतिवादीगण, की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 08.05.2018 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण विद्गावल के आधार पर नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है।

राजीनामा निर्णय का जुज पोरशन रहेगा।



मुनिदेव यादव
सहायक कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	